

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937

No. 171]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015/VAISAKHA 29, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2015

सं. एल-1(3)/2009-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन :

(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड 1 के उपखंड (ख)(i)(ड) के पश्चात्, निम्नलिखित उपबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

“(घ) सोलर पावर पार्क डिवेलपर के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई कंपनी,”

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (i) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (iii) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) दीर्घकालिक पहुंच के संबंध में सोलर पावर पार्क डिवेलपर के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई कंपनी”

3. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (1) के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“परंतु यह भी कि विनियम 2(1)(ख)(i)(च) के अधीन परिभाषित आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर सीटीयू द्वारा तब विचार किया जाएगा यदि सोलर पावर पार्क डिवेलपर को सोलर पावर उत्पादकों की ओर से संयोजकता के लिए व्यवस्था सहित अवसंरचनात्मक गतिविधियों को आरंभ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।”

टी. राउत, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/4/असा./150/15(63)]

टिप्पण : मूल विनियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 140 में तारीख 10.8.2009 को प्रकाशित किया गया था और मूल विनियम के प्रथम संशोधन को तारीख 7.9.2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 225 में अधिसूचित किया गया था और मूल विनियम के दूसरे संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 72 में तारीख 22.3.2012 को अधिसूचित किया गया था, तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 86 में तारीख 26 मार्च, 2013 को अधिसूचित किया गया था और चौथा संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 245 में तारीख 21.8.2014 को अधिसूचित किया गया।

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2015

**No.L-1(3)/2009-CERC.**-In exercise of powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publications, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:

**1. Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) (Fifth Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

#### **2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:-**

(1) The following provisions shall be added after sub-clause (b) (i)(e) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, namely :

“(f) Any company authorised by the Central Government as Solar Power Park Developer;”

(2) Sub-clause (iii) shall be added after sub-clause (ii) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

“(iii) Any company authorised by the Central Government as Solar Power Park Developer, in respect of long term access;”

**3. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:-** The following proviso shall be added after third proviso to Clause (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations, namely:

"Provided also that the application by the applicant defined under Regulation 2(1) (b) (i) (f) shall be considered by CTU only if the Solar Power Park Developer is authorised by the Central Government to undertake infrastructural activities including arrangement for connectivity on behalf of the solar power generators."

T. ROUT, Chief (Legal)

[ADVT-III/4/Exty./150/15(63)]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 of Ser.No.140 dated 10.8.2009 and the first amendment to the principal regulations was published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 at Ser. No. 225 dated 7.9.2010 and the second amendment to the principal regulations was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 at Ser. No.72 dated 22.3.2012, the third amendment was published in the Gazette of India extraordinary Part III Section 4 at Ser. No. 86 dated 26.3.2013. and fourth amendment was notified in the Gazette of India extraordinary Part III Section 4 at Ser. No. 245 dated 21.8.2014.